"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2005—पौष 2, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-31/2002/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2002 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् .-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 7 के उपनियम (1) में शब्द "पांच हजार दो सौ" के स्थान पर "सात हजार आठ सौ" स्थापित किया जाये.

2. उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ-10-31/2002/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2002/1/5, दिनांक 23-12-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 23rd December 2005

NOTIFICATION

No. F-10-31/2002/1/5.—In exercise of powers conferred by clause (2) of Article 243-K of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub rule (1) of Rule 7 for the words "Five Thousand Two Hundred" the words "Seven Thousand Eight Hundred" shall be substituted.

2. This said amendment shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PANKAJ DWIVEDI, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.